झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक विविध याचिका सं. 3649/2022

प्रकाश चंद्र, लगभग 60 वर्ष के, पिता- दिवंगत रमेश्वर प्रसाद महथा, गौरी गणेश बजाज शोरूम के पास, डी/4 ऑफिसर्स कॉलोनी, जवाहर नगर, मटकुरिया, डाकघर एवं थाना- धनबाद, जिला- धनबाद, झारखंड। वर्तमान में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, डाकघर एवं थाना- धनबाद, जिला- धनबाद, झारखंड में सामान्य प्रबंधक (समन्वय) के रूप में कार्यरत हैं।

याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

याचिकाकर्ता के लिए: श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री सागर कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री पंकज कुमार, लोक अभियोजक

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना गया।

2. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अधिकारिता का उपयोग करते हुए दायर गई है, जिसमें **शिकायत मामला संख्या** 967/2017 के संबंध में समस्त आपराधिक कार्यवाही को समाप्त करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें दिनांक 09.06.2020 का आदेश शामिल है, जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद द्वारा पारित किया गया था, जिसके तहत माननीय सीजेएम ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय

वन अधिनियम की धारा 33 के तहत दंडनीय अपराध का प्राइमाफेसी मामला पाया और उक्त अपराध की संज्ञान ली।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, 11.04.2017 को वन रक्षक ने पाया कि कई वर्षों पहले भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) लोधना क्षेत्र ने सुरंगा संरक्षित वन क्षेत्र में प्लॉट संख्या 611 पर आवासीय भवनों का निर्माण किया था। वन रेंज अधिकारी ने जांच के दौरान पाया कि घटना के समय याचिकाकर्ता लोधना क्षेत्र का सामान्य प्रबंधक था, इसलिए याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित किया गया और अपराध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इसी आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद ने शिकायत मामला संख्या 967/2017 में भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत दंडनीय अपराध की संज्ञान ली।

4. याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपराध रिपोर्ट में कोई घटना की तिथि नहीं दी गई है और याचिकाकर्ता को कार्यालय आदेश दिनांक 28.07.2015 द्वारा बस्ताकोल्ला क्षेत्र से लोधना क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था और उन्होंने 31.07.2015 को कार्यभार ग्रहण किया। उन्हें फिर से कार्यालय आदेश दिनांक 23.07.2017 द्वारा लोधना क्षेत्र से सिजुआ क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया और उन्होंने 25.07.2017 को सिजुआ क्षेत्र में कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि वन रक्षक ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि निर्माण कई वर्ष पहले किया गया था और यह कहना संभव नहीं है कि याचिकाकर्ता ने भारतीय वन अधिनियम की धारा 33 के तहत दंडनीय अपराध किया है और माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धनबाद ने बिना न्यायिक मनन के उक्त अपराध की संज्ञान ली है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि भारतीय वन अधिनियम में याचिकाकर्ता पर उत्तरदायित्व लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर यह प्रस्तुत किया गया कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एक कॉर्पोरेट निकाय है और याचिकाकर्ता को लंबे समय पहले अपने कर्मचारियों के लिए आवासों के निर्माण के लिए किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और याचिकाकर्ता किसी भी रूप में इस मामले में शामिल नहीं है।

5. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करते हुए, **रविंद्रनाथ बाजपे बनाम मंगलोर विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड और अन्य** मामला, जो **(2021) एससीसी ऑनलाइन 806** में रिपोर्ट किया गया है, के पैरा संख्या 24 और 25 इस प्रकार हैं:

> *"24. सुनील भारती मितल (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने पैरा 42 से 44 में निम्नलिखित रूप से अवलोकन किया है:*
>
> *"(iii) परिस्थितियाँ जब निदेशक/कंपनी के मामलों के प्रभारी व्यक्ति को भी अभियोजित किया जा सकता है, जब कंपनी एक आरोपी व्यक्ति हो*
>
> *42.कोई संदेह नहीं है कि एक कॉर्पोरेट इकाई एक कृत्रिम व्यक्ति है जो अपने अधिकारियों, निदेशकों, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष आदि के माध्यम से कार्य करती है।*

यदि कंपनी कोई अपराध ऐसी आपराधिक मनःस्थिति से करती है, तो सामान्यतः यह उस व्यक्ति की मंशा और क्रिया होगी जो कंपनी की ओर से कार्य करेगा। यह तब अधिक होगा जब आपराधिक कार्य साजिश का हो। हालांकि, साथ ही, यह आपराधिक न्यायशास्त्र का मौलिक सिद्धांत है कि जब तक विधि विशेष रूप से ऐसा प्रावधान नहीं करती, तब तक कोई उत्तरदायित्व नहीं होता।

43.इस प्रकार, यदि किसी कंपनी की ओर से किसी अपराध को अंजाम देने वाले <u>व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उसके आपराधिक इरादे के साथ उसकी सक्रिय भूमिका जुड़ी हुई है,</u> तो उसे कंपनी के साथ आरोपी बनाया जा सकता है। दूसरी स्थिति जिसमें उसे शामिल किया जा सकता है, वे मामले हैं जहाँ वैधानिक व्यवस्था स्वयं उत्तरदायित्व के सिद्धांत को आकर्षित करती है, विशेष रूप से ऐसा प्रावधान शामिल करके।

44.जब कंपनी अपराधी होती है, तो निदेशकों की उत्तरदायित्व स्वचालित रूप से नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि इस प्रभाव में कोई वैधानिक प्रावधान न हो। इसका एक उदाहरण भारतीय साधारण वाणिज्यिक अधिनियम की धारा 141 है। अनीता हड़ा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर (पी) लिमिटेड में (2012) 5 एससीसी 661 में, न्यायालय ने उल्लेख किया कि यदि कंपनी के व्यवसाय का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों का आपराधिक इरादा है, तो वह कॉर्पोरेट निकाय पर आरोपित किया जाएगा और इसी संदर्भ में भारतीय साधारण वाणिज्यिक अधिनियम की धारा 141 को समझा जाना चाहिए। इसलिए, यह स्थिति वैधानिक इरादे के कारण एक अनुमानित कल्पना बन जाती है। यहाँ भी, "आल्टर इगो" का सिद्धांत केवल एक दिशा में लागू किया गया था, अर्थात जहाँ व्यवसाय का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्तियों का आपराधिक इरादा होता है, वह कॉर्पोरेट निकाय पर आरोपित किया जाना चाहिए और न कि इसके विपरीत। अन्यथा, निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति पर जो कथित रूप से कंपनी के नियंत्रण और प्रबंधन में हो, एक विशिष्ट कार्य होना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति उन कार्यों के लिए जिम्मेदार था जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किए गए थे।"

25. *मकसूद सैयद बनाम गुजरात राज्य (2008) 5 एससीसी 668 के मामले में, पैरा 13 में यह अवलोकन और निर्णय दिया गया है:*

"13. जहाँ एक शिकायत याचिका पर धारा 156(3) या धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, वहाँ मजिस्ट्रेट को अपने मनन को लागू करना आवश्यक होता है। दंड संहिता में प्रबंध निदेशक या कंपनी के निदेशकों पर उत्तरदायित्व लगाने का कोई प्रावधान नहीं है जब आरोपी कंपनी

होती है। माननीय मजिस्ट्रेट ने स्वयं से सही प्रश्न नहीं पूछा कि क्या शिकायत याचिका, भले ही इसे सही मान लिया जाए और इसकी सम्पूर्णता में सही माना जाए, इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि यहाँ उत्तरदाता किसी अपराध के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार थे। बैंक एक कॉर्पोरेट निकाय है। प्रबंध निदेशक और निदेशक की उत्तरदायित्व तब उत्पन्न होगी जब इस संबंध में कोई प्रावधान विधि में मौजूद हो। विधियों में बिना किसी संदेह के ऐसे उत्तरदायित्व को निर्धारित करने का प्रावधान होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए भी, शिकायतकर्ता पर आवश्यक आरोप लगाना अनिवार्य है जो उत्तरदायित्व स्थापित करने वाले प्रावधानों को आकर्षित करेगा।"

याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि बीसीसीएल की ओर से आवासों के निर्माण में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं होने के कारण, जो कि स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित क्षेत्र में शामिल होने से पहले ही हुआ था, याचिकाकर्ता को आरोपित अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे में, यह प्रस्तुत किया गया कि आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि शिकायत मामला संख्या 967/2017 के संबंध में समस्त आपराधिक कार्यवाही, जिसमें माननीय सीजेएम, धनबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 शामिल है, को रद्द और समाप्त किया जाए।

6. राज्य के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने शिकायत मामला संख्या 967/2017 के संबंध में समस्त आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, जिसमें माननीय सीजेएम, धनबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 शामिल है। वे यह प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने किसी संरक्षित वन क्षेत्र में भूमि को तोड़ा और साफ किया, फिर भी उनकी संलिप्तता को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि वह उस समय बीसीसीएल के सामान्य प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया कि भारतीय वन अधिनियम की धारा 33(सी) के तहत अपराध स्थापित होता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाए।

7. बार में प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को ध्यान से देखने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि हालांकि माननीय लोक अभियोजक ने याचिकाकर्ता पर संरक्षित वन क्षेत्र में भूमि को तोड़ने और साफ करने का आरोप लगाया है, लेकिन अपराध रिपोर्ट और रिकॉर्ड में उपलब्ध अन्य सामग्रियों की समीक्षा करने पर, इस न्यायालय को पता चलता है कि याचिकाकर्ता पर किसी भूमि को तोड़ने या साफ करने का कोई विशेष आरोप नहीं है। केवल आरोप यह है कि वह वर्ष 2020 में सामान्य प्रबंधक थे, लेकिन चूंकि अतिक्रमण और बीसीसीएल द्वारा क्वार्टरों के निर्माण की कोई विशेष तिथि उल्लेखित नहीं

की गई है, इसलिए याचिकाकर्ता की कोई विशेष भूमिका न होने और भारतीय वन अधिनियम, 1927 में उत्तरदायित्व का कोई प्रावधान न होने के कारण, इस न्यायालय की विचारधारा में याचिकाकर्ता को बीसीसीएल द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

8. ऐसे परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को पूरी तरह से सत्य माना जाए, तब भी भारतीय वन अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडनीय अपराध स्थापित नहीं होता। इसलिए, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की निरंतरता कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी और यह एक ऐसा मामला है जहाँ शिकायत मामला संख्या 967/2017 के संबंध में समस्त आपराधिक कार्यवाही, जिसमें माननीय सीजेएम, धनबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 शामिल है, को रद्द और समाप्त किया जाना चाहिए।

9. इसलिए, **शिकायत मामला संख्या** 967/2017 के संबंध में समस्त आपराधिक कार्यवाही, जिसमें **माननीय मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी, धनबाद** द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.06.2020 शामिल है, रद्द और समाप्त की जाती है और यदि पहले कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया हो तो वह भी समाप्त कर दिया जाता है।

10. परिणामस्वरूप, यह आपराधिक विविध याचिका उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है।

(**न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी**)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 7 दिसंबर, 2023

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|